

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठारीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

2

प्रकरण सं० 52/2025

दायर दिनांक: 22.04.2025

उनवान

सुन्दरबाई पत्नि प्रभूलाल जाति तेली नि. बानोर तहसील रायपुर

- प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक : 30.06.2025

प्रार्थीया सुन्दरबाई पत्नि प्रभूलाल जाति तेली नि. बानोर तहसील रायपुर के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, सुन्दरबाई का आधारकार्ड (294245680000), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/285648), बैंक खाता पासबुक, जनाधार कार्ड (4873403108), परिवार राशनकार्ड (010508400021), ग्राम बानोर का नामा. सं. 1424 दिनांक 12.02.2013 एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट पत्रांक 683 दिनांक 22.05.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बानोर पटवार मण्डल बानोर तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 299 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम बानोर पटवार मण्डल बानोर तहसील रायपुर	299	इन्द्राबाई पत्नि स्व. प्रभूलाल	सुन्दरबाई उर्फ इन्द्राबाई पत्नि स्व. प्रभूलाल

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड राज०  
दिनांक 30.06.2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/

प्रतिलिपी - तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
उपखण्ड झालावाड राज०  
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

